

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14()2013/एफसीए/प्रमुवसं/ 1249

दिनांक: 27-4-16

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर।

विषय:-जनपद सीकर के अन्तर्गत स्मृति वन परियोजना के लिए
ईको एनवारमेंट सेंटर के निर्माण हेतु 0.16 है0 वनभूमि
प्रत्यावर्तन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप वन संरक्षक(केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 8 बी/
राज/09/18/2013/एफसी/1338 दि. 27.1.16 एवं शासन सचिव, वन विभाग,
राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक एफ 1 (41) वन/2013 दिनांक 28.3.16 से वन
(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.16 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं शून्य
वृक्ष के पातन हेतु कुछ शर्तोंधीन विधिवत स्वीकृति प्रदान की है। अतः निम्नांकित
शर्तोंधीन सम्बन्धित विभाग/संस्था को वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे दी जावे।
साथ ही पालना प्रतिवेदन एवं मोनेटरिंग रिपोर्ट भिजवाई जाए:-

1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्रों में अंकित समस्त
शर्तों की कड़ाई से पालना की जावे।
2. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना का
प्रबोधन निरंतर किया जावे।
3. मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक
रजिस्टर संधारित किया जावे।

भवदीय,

संलग्न:-उक्तानुसार।

(सी. एस. रत्नासामी)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 14()2013/एफसीए/प्रमुवसं/ 1250-51

दिनांक: 27-4-16

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को भारत सरकार/राज्य सरकार के उक्त पत्रों की प्रतियां
सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ 1 (41)
वन/2013 दिनांक 28.3.16 के क्रम में।
2. उप वन संरक्षक, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त के साथ-साथ
स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करें:-
(i) मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक
रजिस्टर में सूचना संधारित की जावे।

संलग्न:-उक्तानुसार।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.
राजस्थान, जयपुर।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(राष्ट्रीय कार्यालय/एनएच)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

कक्षा-1 मन्दायक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, 220 001
Kendriya Bhawan, 1st Floor, Sector H, Connaught Place-2200021, New Delhi-110005
Email: Env@moef.gov.in, mof@moef.gov.in, forests@moef.gov.in, cc@moef.gov.in

22/1

पत्र सं. डी.डी. सं. 107/क. सं. 2013/ए.सी. / 1530

दिनांक: 27.01.2018

सेवा में,

शरायन समिति (वन)
शिवदिल समिति/मंडल,
राजस्थान शरायन अधिकारी

विषय: जंगल: तीव्र वन-अन्तर्गत रमृति वन सीकर परियोजना के लिए इको एनालाइसिस सेंटर के निर्माण हेतु 0.16 हे. वन-भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ: अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान का पत्रांक- एफ14(2013/वसु/प्रमुख/8631, दिनांक 24.11.2014 एवं पत्रांक- एफ14(2013/एफ000000/प्रमुख/115, दिनांक 22.01.2016


महोदय,

संदर्भित विषय पर शरायन समिति राजस्थान का पत्रांक- एफ14(2013/2013 दिनांक 12.07.2013 का आदेशानुसार निर्देशक द्वारा विचारित प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से का [संरक्षण] अधिनियम 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रस्तुत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.07.2013 द्वारा प्रस्ताव में सिद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसका अनुपालन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं जेडन अधिकारी जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन पर निवारोपसंगत मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केंद्र सरकार जंगल सीकर के अन्तर्गत रमृति वन सीकर परियोजना के लिए इको एनालाइसिस सेंटर के निर्माण हेतु 0.16 हे. वन-भूमि के प्रत्यावर्तन एवं शु-य वनों के प्रदान की विधिवत स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर रही है।

1. जो वन के अन्तर्गत (अर्थात् वन सीकर परियोजना में) है।
2. प्रवीकृत अधिकरण से आस पर का विभाग द्वारा 100 वृक्षों की वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक सदा प्रदान किया जाएगा। वन-भूमि वृक्षारोपण एवं स्वीकृति के आगे जाने के बाद वन-भूमि का रक्षण करवाया जायेगा।
3. ऊपर कृत निर्माण कार्य का वन में अन्तर्गत स्वीकृति से जो प्रवीकृत अधिकरण द्वारा प्रदान की गई वन-भूमि का अधिकृत अधिकरण करवाया जायेगा।
4. परियोजना के निर्माण एवं रख-रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की जनसंख्या एवं जीव-जन्तुओं का विनाश प्रभाव का धारि नहीं पहुंचाया जाएगा।
5. प्रवीकृत वन-भूमि के उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
6. प्रवीकृत अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत कर्मचारी /स्टाफ का रक्षात्मक वन-भूमि/विशेषित जल की आवश्यकता की जागीरी ताकि निकटवर्ती वनों के क्षति न हो।


7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किरौं भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
8. प्रस्तावित जग्गी के अधिष्ठित आस पास की जग्गी से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
9. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा पर किया जाएगा। यह सीमांकन दफ्तर जड़े आर0सी0सी0 पीलर का किया जाएगा जिसमें प्रत्येक पीलर पर कर्मांक, सी0सी0सी0पीलर, निदेशक, Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। पर कार्य प्रयोक्ता अभिकरण को विधिक स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा पर इसके खुलासा इस न्यायोतय का भी हो जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
11. प्रस्ताव में निहित किरौं भी निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को गिरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

 27/01/16
 (अमित मिश्र)

रूप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अधिरिका जग्गीनिदेशक एम्.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, आरव्याय रोड, नयी दिल्ली 110003
2. निदेशक आर0सी0सी0पीलर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, आरव्याय रोड नयी दिल्ली 110003.
3. उप वन संरक्षक, सीकर, राजस्थान।
4. श्री कमल मिश्रा, राज्याध्यक्ष अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को देवरगढ़ पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. जग्गी निदेशक।


 27/01/16
 (अमित मिश्र)

रूप वन संरक्षक (के0)

ORDER

Ministry of Environment, Forest & Climate Change, GOI Regional Office, Lucknow vide letter No.F.No.8B/Raj/09/18/2013/FC/1338 dated 27.01.2016 has conveyed its approval for diversion of 0.16 ha. forest land, without felling any trees, for construction of Eco Environment Centre at Smriti Van on the Protected Forest Land of "Devipura Beed" of Sikar forest division in the state of Rajasthan. In pursuance of the above clearance by Govt. of India, State Government hereby accords approval under Section 2 of the Forest (Conservation) Act 1980 with the following conditions:-

1. The conditions imposed by MoEF&CC, GoI in their forest clearance dated 27.01.2016 will be complied with by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to stage I and stage II clearance are mandatorily required to be displayed on the website by State Forest Department as well as by MoEF&CC, GoI.
3. The project proponent should publish the entire forest clearances granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers, one in vernacular language and the other in English language, so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forestry purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn have to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

APCFC (FCA)

S/-

(Yogendra Kumar Dak)
Secretary, Forests

Copy to the following for necessary compliance:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. The Addl. PCCF (Central), Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhawan, Lucknow.
3. The Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Changes, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110 003 - with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF&CC website.
4. The Additional Director General(FC), Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment, Forests & Climate Changes, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110 003
5. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur - with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aranya Bhawan, Jaipur - to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Jaipur.
8. Dy. Conservator of Forests, Sikar.
9. Order file.

(Kumar Swami Gupta)